तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पंकज कुमार शर्मा बनाम लोक सूचना अधिकारी **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023 / 228**	
25.07.23	पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी की टिप्पणी क्रमांक एफ.19(5)(7)आरटीआई / 2023 / 270 दिनांक 14.07.2023 प्राप्त। जिसमें उन्होने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में आगामी तारीख पेशी / निर्णित दिनांक का अंकन नही किया, प्रार्थना पत्र में अपूर्ण जानकारी दी गई, आरटीआई अधिनियम के तहत न्यायालय की सूचना नही दी जा सकती है जिस बाबत अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है। अपील खारिज कराने का श्रम करावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना हेतु इन्कार नही किया गया है बल्कि पत्रांक 178 दिनांक 17.04.2023 द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया जा चुका है कि अपीलार्थी द्वारा आगामी तारीख पेशी / निर्णित दिनांक इत्यादि का अंकन नही किया गया है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत न्यायालय की सूचना नही दी जा सकती है। न्यायालय की पत्रावली की नकल हेतु अपीलार्थी नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में सम्पूर्ण सूचना सहित आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्राप्त कर सकते है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी नये सीरे से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवाई जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	